


# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/12/25	<p>वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील वादी सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील वादी अथवा अन्य किसी पक्षकारान ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी,  
नीमकाथाना  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (राज.)



# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)  
बड़जलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. रामेश्वर पुत्र कालूराम जाति माली निवासी ढाणी टीबा वाली, तन गांवडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज।

—वादी

बनाम

1. रतन पुत्र घीसा वगैरह

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन  
मुकदमा नं. 403 सन् 2025

इह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री मुरारी लाल शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्ई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसक मुद्देदस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।



दस्तखत.....  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (राज.)

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक  मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक  मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।